न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 152/2014
GCMS NO. : 2014/00149

–:: वादी :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

वादी:

1. बगदाराम पुत्र शिवलाल जाति– जाट, निवासी– आ0कालू तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.)।

प्रतिवादीगण:

1. सुखाराम के का0मु0
   1/1. श्यामलाल पुत्र सुखाराम
   1/2. मुन्नाराम पुत्र सुखाराम
   1/3. उम्मेदराम पुत्र सुखाराम जाति– जाट, निवासी– आ0कालू
   1/4. पप्पुदेवी पुत्री सुखाराम पत्नी दीनाराम जाति– जाट, निवासी– नया गांव तहसील– जैतारण।
   1/5. दरियाव पुत्र सुखाराम पत्नी कानाराम जाति– जाट, निवासी– बैड़कला तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।
2. गोकलराम पुत्र छौगाराम
3. पोकरराम पुत्र रामचन्द्र
4. बाबूराम पुत्र रामचन्द्र
5. कानाराम पुत्र रामचन्द्र
6. गीता पुत्री नारायण

जातियान– जाट, निवासीगण– आ0कालू तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.15.07.2014

उपस्थितः–

1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 21/06/2022

वकील मय वादी ने एक राज़स्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि मुस्तरका मौजा आ0कालू के खाता संख्या एक में कृषि भूमि खसरा संख्या 1176 रकबा 03-15 बीघा, खसरा संख्या [illegible] रकबा 00-14 बीघा, खसरा नम्बर 1189 रकबा 01-[illegible] बीघा, खसरा [illegible] 1190 रकबा 01-17 बीघा, कुल रकबा 07-17 बीघा भूमि आई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 व नक्शा ट्रेस साथ पेश है। जो दावा का एक भाग माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

है। यह समस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के सामलाती कब्जे काश्त की एवं
पृक भूमि है जिनकी वंशवृक्षावली प्रस्तुत है। भूमि छौगाराम जी के पांच लड़के
वलाल, रामचन्द्र सुखाराम, नारायण, गोकल हुये उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त
ो है। जिनसे प्रत्येक का 1/5वां हिस्सा है। शिवलाल फौत हो चुक है तथा समस्त
ूमि में वादी का 1/5वां हिस्सा है रामचन्द्र फौत हो चुके है, जिनके तीन लड़ेक
ोकर, बाबू, काना है जिनका तीनों का मिलाकार समस्त भूमि में 1/5वां हिस्सा है
था प्रत्येक का समस्त भूमि में 1/5वां हिस्सा आता है, रामचन्द्र की बेवा गोगली
ौत हो चुकी है। परन्तु जमाबन्दी में नाम दर्ज है, जो गलत है इसलिये गोगली
ो दावा में बतौर प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया है। प्रतिवादी सुखाराम का समस्त
ूमि मर्वे 1/5वां हिस्सा है। प्रतिवादी नारायण का 1/5वां हिस्सा समस्त भूमि में
रन्तु नारायण फौत हो जाने से उनके वारिस उनकी बेवा तिजाई व पुत्री गीता है
जिनका शामलाती भूमि में प्रत्यैक का 1/10 हिस्सा आता है व तिजाई व पुत्री
गीता है जिनका शामलाती भूमि में प्रत्येक का 1/10 हिस्सा आता है व तिजाई
का 1/10वां हिस्सा व गीता का 1/10वां हिस्सा हैं प्रतिवादी गोकल का समस्त
भूमि में 1/5वां हिस्सा है। वादी ने समस्त शामलाती भूमि का बंटवाड़ा कर वादी
की 1/5वां हिस्सा की भूमि को अलग करनें का दिनांक 20.06.2014 को गांव
आ0कालू में कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। वादी एवं प्रतिवादीगण की
समस्त शामलाती भूमि व लगान का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा कराया
जाकर वादी के 1/5 हिस्सा की भूमि का अलग से खाता खुलवाया जावें
नामान्तरण अलग अलग किया जावें नक्शा में भी तरमीम की जावें तथा मौके पर
वादी का 1/5वां हिस्सा पर मुड्डे लगाये जाकर नेखमबंदी की जावें तथा
प्रतिवादीगण के हिस्से भी अलग अलग मौके पर एवं रेकर्ड जमाबन्दी व नामान्तरण
रेकर्ड में किये जावें। वादी ने सभी खातेदार को पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी तिजाई
व गीता ने बलपूर्वक ट्रैक्टर से खसरा संख्या 1190 में दिनांक 20.06.2014 की
खड़ाई की है जिन्हे मना किया तो झगड़ा करनें पर उतारू हो गये इस प्रकार जब
तक शामलाती भूमि एवं लगान का बंटवाड़ा नहीं होगा तब तक पक्षकारान् के मध्य
विवाद रहेगा। कानून के माफिक शामलाती भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा व
हक प्रत्येक खातेदार का माना जाता है। इस प्रकार यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई
निषेधाज्ञा का पेश है। प्रतिवादी संख्या आठ तहसीलदार जैतारण भूमिधारी होने से
बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होनें से पक्षकार बनाया गये है। बिनाया वाद
दिनांक 20.06.2014 को गांव आ0कालू में प्रतिवादीगण संख्या एक से सात द्वारा
दावा में वर्णित शामलाती भूमि एवं लगान का बंटवाड़ा करनें से मना करनें पर
बमुकाम आ0कालू में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् [illegible] ाधिकार में है। वादी का वाद
अन्दर मियाद के पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया
गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08 बावजूद सम्मन सूचना/तामिली एव बार
बार आवाजें दिलाई जानें के उपरांत अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध के एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 व 02 वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 में वर्णित 1/5-1/5वां हिस्सा होने के कथन भी सही होनें से स्वीकार है तथा इस भूमि के सहहिस्सेदार गोकल पुत्र भोगाजी व बाबूराम, कानाराम पिसारान रामचन्द्र ने अपने हक हिस्से की भूमि 2.355 बीघा जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के जवाब देहन्दा को दिनांक 04.08.2016 को बैचान करते हुये मौके पर कब्जा भी खरीददार को सौंप दिया है नकल बैचाननामा इस जवाब दावा के साथ पेश है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 06, 07 का इस वादपत्र में वर्णित भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। बल्कि उक्त भूमि जवाब देहन्दा गीता को बैचान की जा चुकी है। इस प्रकार से उक्त खरीददार को विक्रेतागण के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य होनें से अस्वीकार हैं। वादपत्र के पद संख्या 04 व 05 में वर्णित तथ्य एवं कथन असत्य, झूटे होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 07 में वर्णित बिनाय वाद कतई असत्य झूटे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। जो वादी ने वादपत्र पेश करनें की गरज से झूठा अंकित किया है। वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र म्याद बाहर है, साथ ही श्रीमान को इस प्रकरण में सुनवाई का कोई श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होनें से अस्वीकार हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, जवाब दावा, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा आ0कालू प्रथम पटवार हल्का आ0कालू प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0 सम्वत् 2070-2073 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा संख्या 1176 रकबा 03-15 बीघा, खसरा संख्या 1185 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नम्बर 1189 रकबा 01-11 बीघा, खसरा नम्बर 1190 रकबा 01-17 बीघा, कुल रकबा 07-17 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंट्वाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा आ0कालू के चक संख्या एक में कृषि भूमि खसरा संख्या 1176 रकबा 03-15 बीघा, खसरा संख्या 1185 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नम्बर 1189 रकबा 01-11 बीघा, खसरा नम्बर 1190 रकबा 01-17 बीघा जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्त की हैं, बंट्वाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को धिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/04 दिनांक 10.01.2022 द्वारा आदेशित ग्या गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/2202 दिनांक 4/04/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन स्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने ाफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा क्ये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस कुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा केया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक ादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आ0कालू प्रथम पटवार हल्का आ0कालू प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0 में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1176 रकबा 03–15 बीघा, खसरा संख्या 1185 रकबा 00–14 बीघा, खसरा नम्बर 1189 रकबा 01–11 बीघा, खसरा नम्बर 1190 रकबा 01–17 बीघा, का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	बगदाराम पुत्र शिवलाल कौम– जाट सा0 देह खातेदार	1189	0.1254	चा. सो.	0.33
		1190	0.1498	चा. सो.	0.39
		2	0.2752		0.72
2.	गीता पुत्री नारायण, तिजाई पत्नी नारायण कौम– जाट सा0 देह	1189/1	0.1255	चा. सो.	0.33
		1190/1	0.1497	चा. सो.	0.39
		2	0.2752		0.72
3.	सुखाराम पुत्र छोगाराम के का0मु0 श्यामलाल, मुन्नाराम, उम्मेदराम, पि0 सुखाराम, पप्पुदेवी पुत्री सुखाराम दरियाव पुत्री सुखाराम कौम– जाट सा0 देह खातेदार	1176/2	0.2023	चा. सो.	0.53
4.	गोकलराम पुत्र छोगाराम कौम– जाट सा0 देह	[illegible]	0.2023	चा. सो.	0.53

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कानाराम, बाबूलाल, पोकरराम पि0 रामचन्द्र, गोंगली पत्नी रामचन्द्र कौम-जाट सा. देह खातेदार	1176	0.2024	चा. सो.	0.53
कानाराम, बाबूराम, पोकरराम पि0 रामचन्द्र, गोगली पत्नी रामचन्द्र हि. 1/3, गोकलराम पत्नी छोगाराम हि. 1/3, सुखाराम पुत्र छोगाराम के का0मु0 श्यामलाल, मुन्नाराम, उम्मेदराम पि0 सुखाराम, पपूदेवी पुत्री सुखाराम दरियाव पुत्री सुखाराम हि. 1/3 कौम-जाट सा. देह खातेदार।	1185	0.1133	चा. सो.	0.30

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा पोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा का जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल मार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार मा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 21/06/2022को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादी :–

1. बगदाराम पुत्र शिवलाल
जाति– जाट, निवासी–
आ0कालू
तहसील जैतारण,
जिला–पाली (राज.)।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. सुखाराम के का0मु0
1/1. श्यामलाल पुत्र सुखाराम
1/2. मुन्नाराम पुत्र सुखाराम
1/3. उम्मेदराम पुत्र सुखाराम
जाति– जाट, निवासी– आ0कालू
1/4. पप्पुदेवी पुत्री सुखाराम पत्नी दीनाराम जाति– जाट, निवासी– नया गांव तहसील– जैतारण।
1/5. दरियाव पुत्र सुखाराम पत्नी कानाराम जाति– जाट, निवासी– बैड़कला तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।
2. गोकलराम पुत्र छौगाराम
3. पोकरराम पुत्र रामचन्द्र
4. बाबूराम पुत्र रामचन्द्र
5. कानाराम पुत्र रामचन्द्र
6. गीता पुत्री नारायण
जातियान– जाट, निवासीगण– आ0कालू तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

मु0न0 :रा0वा0 स0:– 152/2014

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई तथा श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आ0कालू प्रथम पटवार हल्का आ0कालू प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ0कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0 में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1176 रकबा 03–15 बीघा, खसरा संख्या 1185 रकबा [illegible]0–14 बीघा, खसरा नम्बर 1189 रकबा 01–11 बीघा, खसरा नम्बर [illegible] 0[illegible]–17 बीघा, का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

क्र.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	बगदाराम पुत्र शिवलाल कौम- जाट सा0 देह खातेदार	1189	0.1254	चा. सो.	0.33
		1190	0.1498	चा. सो.	0.39
		2	**0.2752**		**0.72**
2.	गीता पुत्री नारायण, तिजाई पत्नी नारायण कौम- जाट सा0 देह	1189/1	0.1255	चा. सो.	0.33
		1190/1	0.1497	चा. सो.	0.39
		2	**0.2752**		**0.72**
3.	सुखाराम पुत्र छोगाराम के का0मु0 श्यामलाल, मुन्नाराम, उम्मेदराम, पि0 सुखाराम, पप्पुदेवी पुत्री सुखाराम, दरियाव पुत्री सुखाराम कौम- जाट सा0 देह खातेदार	1176/2	0.2023	चा. सो.	0.53
4.	गोकलराम पुत्र छोगाराम कौम- जाट, सा0 देह	1176/1	0.2023	चा. सो.	0.53
5.	कानाराम, बाबूलाल, पोकरराम पि0 रामचन्द्र, गोगली पत्नी रामचन्द्र कौम- जाट सा. देह खातेदार	1176	0.2024	चा. सो.	0.53
6.	कानाराम, बाबूराम, पोकरराम पि0 रामचन्द्र, गोगली पत्नी रामचन्द्र हि. 1/3, गोकलराम पत्नी छोगाराम हि. 1/3, सुखाराम पुत्र छोगाराम के का0मु0 श्यामलाल, मुन्नाराम, उम्मेदराम पि0 सुखाराम, पपूदेवी पुत्री सुखाराम दरियाव पुत्री सुखाराम हि. 1/3 कौम- जाट सा. देह खातेदार।	1185	0.1133	चा. सो.	0.30

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/06/2022 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

द्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
हनताना वकील		खर्चा गवाहान	
र्चा गवाहान		फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर	04-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	09-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:56 IST
Reason: SelfAttested